रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4613] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 2018/अग्रहायण 5, 1940
No. 4613] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 2018/AGRAHAYANA 5, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2018

का.आ. 5834 (अ).--अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य 608.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिला के कोडाईकनाल और पलानी तालुकों और थेनी जिला के पेरियाकुलम तालुक में स्थित है।

और, कोडाईकनाल वन संभाग का गठन 19 अप्रैल,1982 को जी.ओ.एम.एस.सं.468 के अनुसार पूर्व मदुरई उत्तर संभाग जिसका मुख्यालय कोडाईकनाल में है और जैसा कि जी.ओ.एम.एस. सं 261 दिनांक 21.3.1977 में आदेश दिया गया था, मदुरई और डिंडीगूल जिलों के अंतर्गत मदुरई राजस्व जिला के द्विभाजन पर जी.ओ.एम.एस.सं 640 दिनांक 22.4.1985 के अनुसार थेनी वन संभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। संभाग में समीपस्थ और सघन खंड हैं जो कोडाईकनाल तालुक में स्थित है और डिंडीगूल जिला में पलानी

तालुक का भाग है और थेनी जिला में पेरियाकुलम तालुक का भाग है। कोडाईकनाल वन संभाग में जी.ओ.सं. 143 पर्यावरण और वन (एफ आर-5) दिनांक: 20.09.2013 को कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया।

और, कोडाईकनाल वन संभाग के वन पश्चिम में केरल राज्य, उत्तर-पश्चिम में कोयंबटूर राजस्व जिला; उत्तर-पूर्व में डिंडीगूल वन संभाग, दक्षिण-पूर्व में मदुरई राजस्व जिला और दक्षिण में थेनी वन संभाग के चारों ओर पूर्व देशांतर $77^0$16' और $77^0$45' और उत्तर अक्षांश 10^0 20'और $10^0$5' के बीच में आते है।

और, अभयारण्य विविध वनस्पति और जीवजंतुओं के लिए महत्त्वपूर्ण और अद्‌भुत पर्यावास है जिसमें स्तनधारियों की लगभग 44 प्रजातियां के लिए पारिस्थितिकी सतत पर्यावास प्रदान करता है इसमें लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे बाघ, हाथी, नीलगिरी थार, आदि शामिल है। यह पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियों, सरीसृप की 40 प्रजातियों, उभयचर की 8 प्रजातियां, तितलियों की 202 प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र के बृहत विविध जैसे घासभूमि, ताजा जल पारिस्थितिकी तंत्र, मार्श पारिस्थितिकी तंत्र, शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन और शोला वन का आश्रय प्रदान करता है। कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के आसपास भौतिक और जैविक विविधता को संरक्षित करना आवश्यक है।

और, अभयारण्य में वनस्पति विविधता असाधारण है। क्षेत्र का बायोटा बेहद विविध है जिसमें 2478 पुष्पित पौधे की प्रजातियां के 201 परिवार है जिसमें से 1758 स्थानीय प्रजातियां हैं। इस क्षेत्र में 161 प्रजातियां प्राकृतिक है; 344 खेती प्रजातियां और 215 बाग प्रजातियां हैं। पचाइ सवुक्कु (अकैशिया देकुर्रेनेस), सोक्काला (अगलानिया इलेबगनोइदेयिया, एशियाटिक पेन्नयवोरट (केंटल्ला असिअटीका), अर्बिअन जस्मिने (जसमिनुम सम्बक) आदि वनस्पति के उदारण हैं।

और, अभयारण्य में पक्षियों, तितलियों, कीड़े-मकोड़ों, सरीसृपों, उभयचरों और स्तनधारियों की विविधता है। बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), इंडियन गौर (*बोस* गौरस), हाथी (*एलिफस मैक्सीमूस*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), समान्य लंगूर (सेम्नोपिथेकुस) आदि स्तनधारी के उदाहरण हैं। रेड-विस्केरेड बुलबुल (फयकनोनोटुस जोकोउस), समान्य किंगफ़िशर (अल्केदो अट्टहीस), बेबरा स्पर्रोव-हवक हवक (विरगटुस बेसरा) आदि पक्षियाँ हैं। सामान्य एशियन टोड *(बुफो मेलानोस्टीकटुस),इंडियन स्किप्पर* मेढक *(इयफ्लयटिस कयनोफयेटीस)* आदि उभयचरों के उदाहरण है।

और, अभयारण्य में दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियों की 32 प्रजातियां और स्थानिक प्रजातियों की 49 प्रजातियां हैं। जिसमें पक्षी (29 प्रजातियां), तितली (12 प्रजातियां), उभयचर (8 प्रजातियां) शामिल हैं। इस अभयारण्य में स्थानिक वनस्पति प्रजातियां लुप्तप्राय है और स्थानिक शोला वन है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर से 1 (एक) किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा--**(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर शून्य किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 101.08 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध II क-च** में दिया गया है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमश: **उपाबंध III (क) (ख)** और (ग) में दी गई है।

(5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका ;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्ग;

(xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगा।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**– तमिलनाडु राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम

		न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञा दी होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
		ख. विनियमित क्रियाकलाप
8.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजांर्टो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख)परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित

		पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। (ग) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (घ) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।

21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति.- (1) केंद्रीय सरकार, प्रारूप अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का इस अधिसूचना के तीन माह के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1.	जिला कलेक्टर,	-अध्यक्ष;
2.	जिला वन अधिकारी, डिंडीगुल प्रभाग	–सदस्य;
3.	सहायक निदेशक, खान और खनिज	–सदस्य;
4.	कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग और भूजल	–सदस्य;
5.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी	–सदस्य;

	संगठनों का एक प्रतिनिधि	
6.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का विशेषज्ञ	–सदस्य;
7.	राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण नामित विशेषज्ञ	–सदस्य;
8.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
9.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
10.	उप निदेशक, शहरी योजना	–सदस्य;
11.	जिला वन अधिकारी, कोडाईकनाल	–सदस्य;

6.विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/31/2018-ई एस जेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी सीमा पलानी श्रेणी में उत्तर से उत्तर पूर्व तक मानचित्र में वर्णित मुख्य स्थानों को पार करके आई डी-एफ 14 से एफ 15 में पलानी–पेरूमलमलाई सड़क से अन्नाजंक्शन (पलानी-पेरूमलमलाई) तक आरंभ होती है।

	उत्तर में पारिस्थितिकी संवेदी जोन पलानी श्रेणी मे मुख्य स्थानों(अंचूरन मंदई से नागमराथालाई) को पार करके पश्चिम कि ओर उत्तर पूर्व आई डी-जी1 से आईडी-जी3 तक जाती है।
उत्तर पूर्व	अभयारण्य की उत्तर पूर्व सीमा डिंडीगूल जिला में डिंडीगूल वन संभाग की सीमा के आसपास उत्तर पूर्व से पूर्व तक कोण है। परूमपल्लम श्रेणी में सामने पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकी वह खड़ी चट्टान है।
पूर्व	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा पेरूमलमलाइर अद्दूक्कम सड़क (आई डी-जी13), पलामलाई (आई डी-जी12), कुरूदीकद्दूमलाई (आई डी-जी11), से आरंभ होती है और पेरीयावराई (आई डी-जी11), विस्तृत है और कोडाईकनाल श्रेणी में मुख्य अवस्थान और मानचित्र में वर्णित मुख्य स्थानों को पार करके दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अन्य भाग कृष्ण कोवैल और आई डी-एच 1 में डिंडीगूल-थेनी जिला सीमा के आरंभिक बिंदु से आरंभ होती है और आई डी-एच2 से आई डी-एच 7 के क्रम में जी.पी.एस. निर्देशांक के साथ मानचित्र में वर्णित मुख्य स्थानों को पार करके दक्षिण की ओर जाती है और आखिरकार पेरूमपल्लम और देवथानापट्टी श्रेणी में आई डी-एच8 में बटालागूंदू-पेरीयाकूलम सड़क पहुंचती है।
दक्षिण पूर्व	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिण पूर्व सीमा आई डी एच 9 से आई डी-एस 18 के क्रम के क्रम में जी.पी.एस निर्देशांको के साथ मानचित्र में वर्णित मुख्य स्थानों को पार करके दक्षिण की ओर आई डी-एच 8 में बटालागूंदू- पेरीयाकूलम सड़क से आरंभ होती है और आखिरकार आई डी-एच 19 में सोथूपराई जलाशय पहुंचती है।
दक्षिण	अभयारण्य की दक्षिण सीमा थेनी जिला में थेनी वन संभाग की सीमा के आसपास दक्षिण कोण से दक्षिण पश्चिम कोण तक आरंभ होती है। देवथानापट्टी, बेरीजम और वंदशवू श्रेणियों में सामने पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।
दक्षिण पश्चिम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिण पश्चिमी सीमा मानचित्र में वर्णित मुख्य स्थानों को पार करके आई डी-जी 9 (कूलट्टा कनवे फॉल) में 9 (शून्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन) तक कि ओर 10 तक पश्चिमी कि ओर विस्तृत आई डी -11 (गुरूसमे मेडु) से आरंभ होती है। और, पश्चिम की ओर उत्तर पश्चिम तक स्थित अनामलाई बाघ रिज़र्व का कोर क्षेत्र और केरल मध्यवर्ती का अंत:राज्यीय सीमा भी है। अत: वंदराबू, मन्नावनूर और पूमबराई श्रेणियों में सामने पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है!
पश्चिम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पश्चिम सीमा पलानी श्रेणी में मानचित्र में वर्णित मुख्य स्थानों को पार करके उत्तर पश्चिम की ओर आई डी-जी 9 से आई डी-जी4 में कूलाट्टा कनवे फॉल से उलरापूलरन कनावई तक आरंभ होती है। और, पश्चिम कोण से उत्तर पश्चिम कोण तक अनामलाई बाघ रिज़र्व भी स्थित है। पूमबराइर और पलानी श्रेणियों में सामने पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।
उत्तर पश्चिम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी पश्चिम सीमा आई डी-एफ 1 में अनामलाई बाघ रिज़र्व और कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य सीमा के द्धि-जंक्शन से आरंभ होती है और पलानी श्रेणी में आई डी-एफ 12 से आई डी- एफ 13 में शून्य बिंदु मोट्टाईपराई से पलर-पोरंदलर जलाशय तक और आई डी- एफ 2 11 (वन्नाट्टी ओदई) के क्रम जी.पी.एस निर्देशांको के साथ प्राकृतिक सीमाएं जैसे धाराएं, सड़कें, मार्ग और नाले आदि के साथ मुख्य स्थानों को पार करके उत्तर की ओर जाती है।

उपाबंध - II क

कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

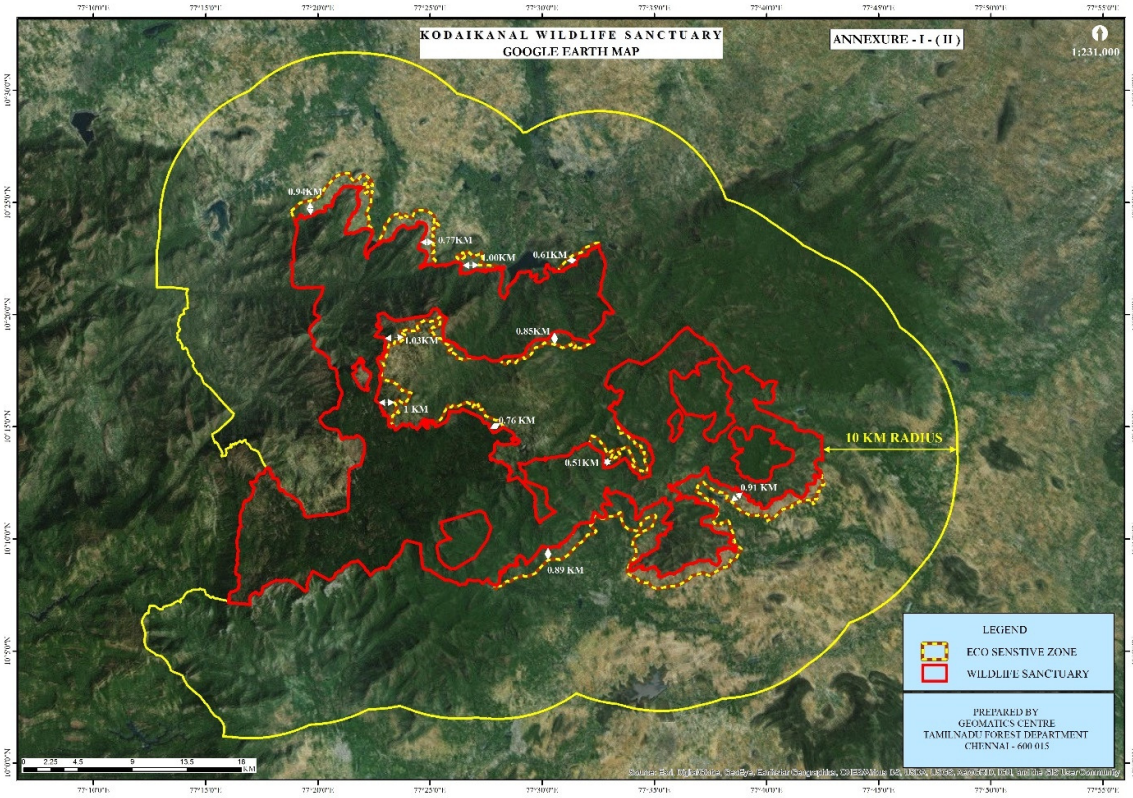

उपाबंध - II ख

कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानिचत्र

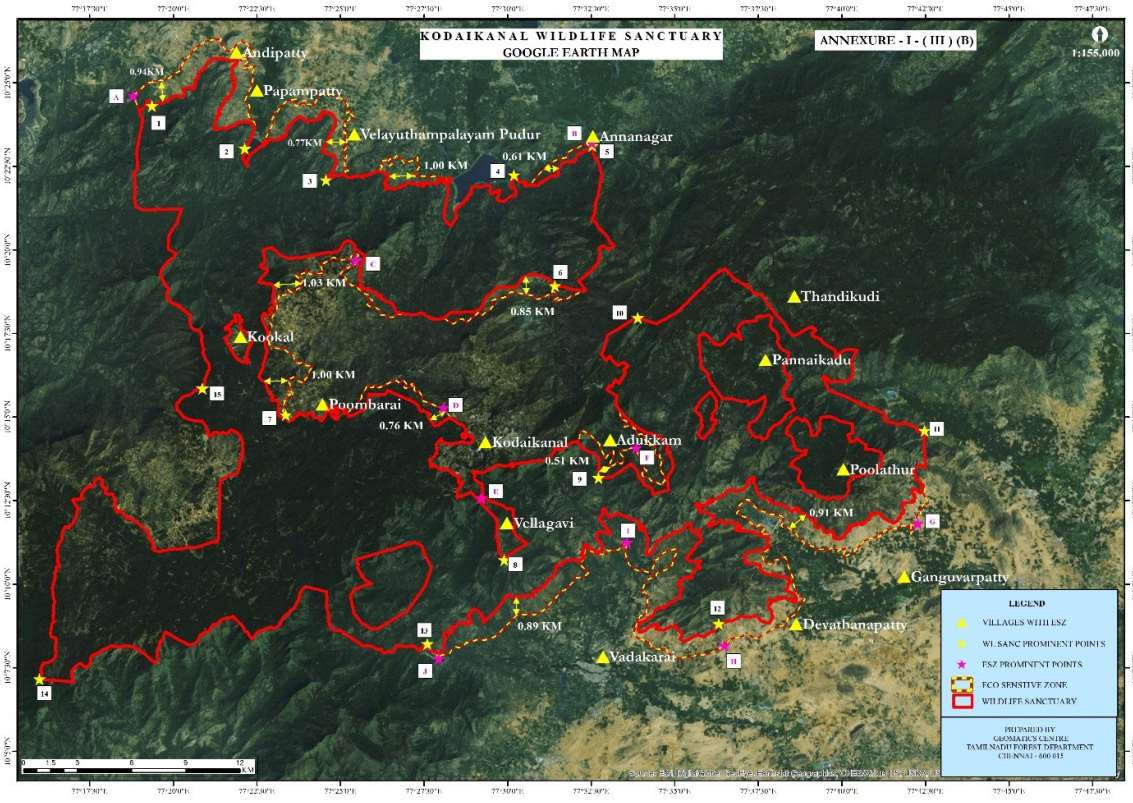

उपाबंध – II ग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

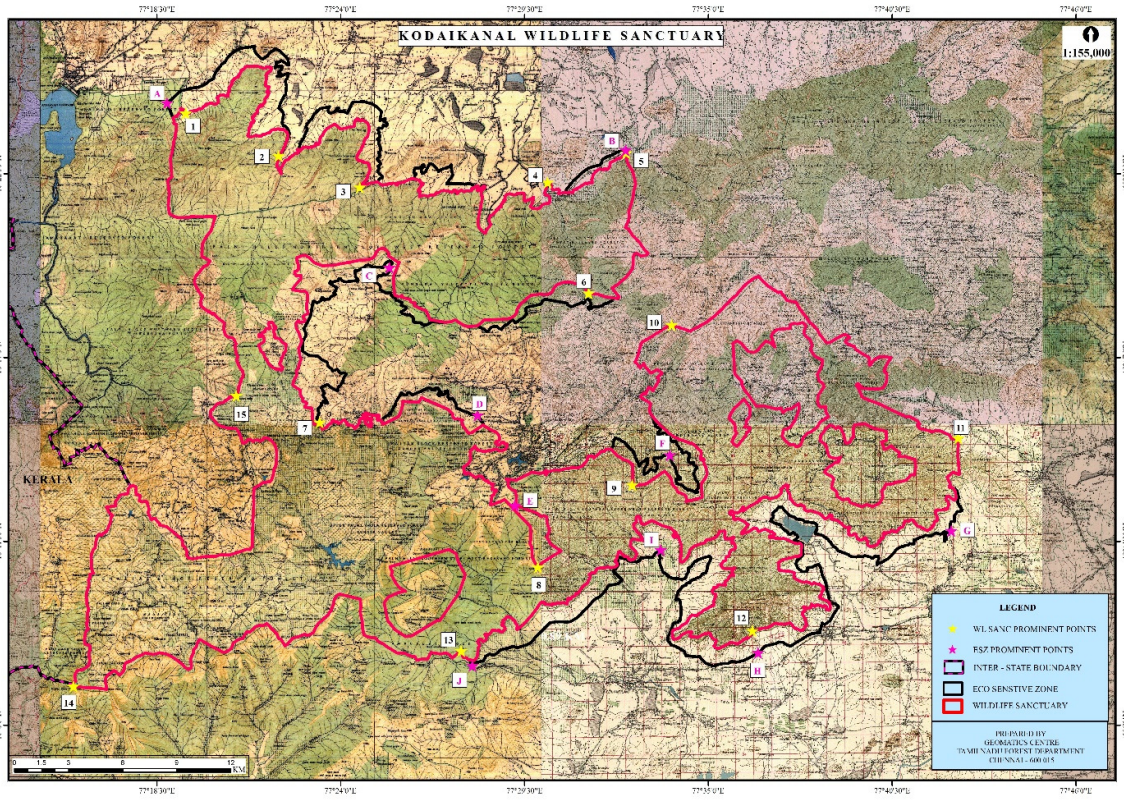

उपाबंध – II घ

10 किलोमीटर बफर के साथ कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र

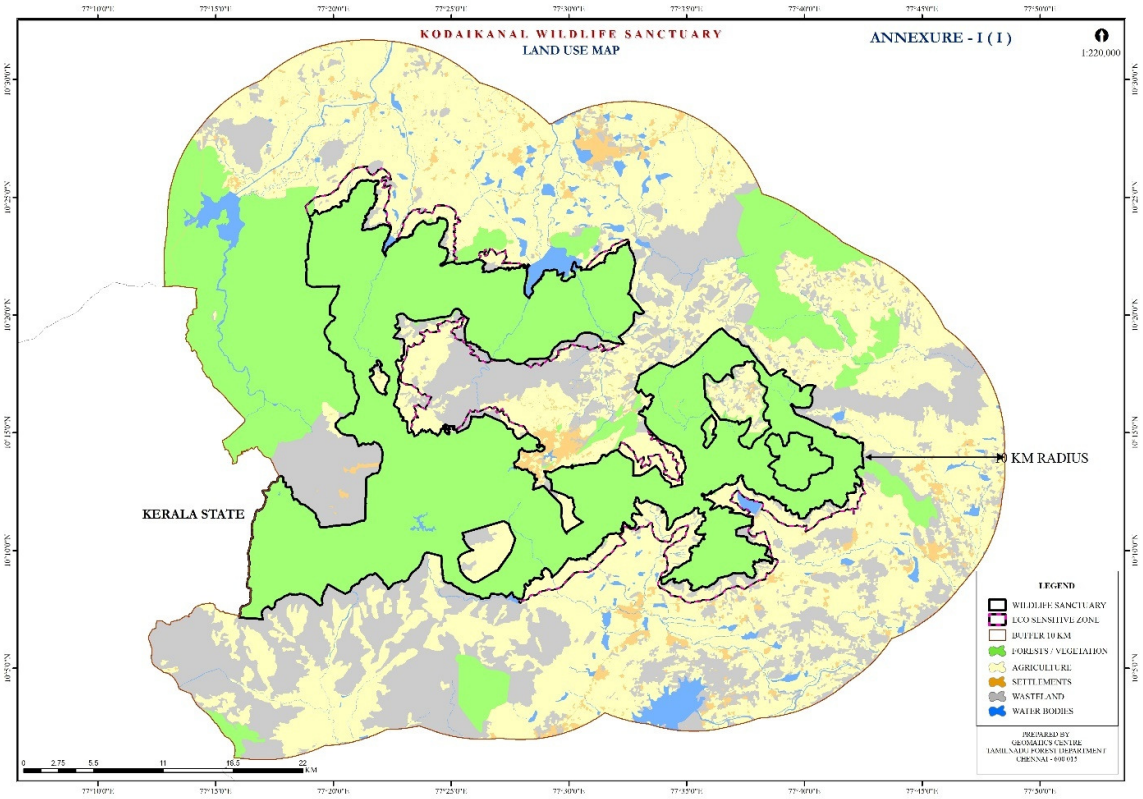

उपाबंध- II ङ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

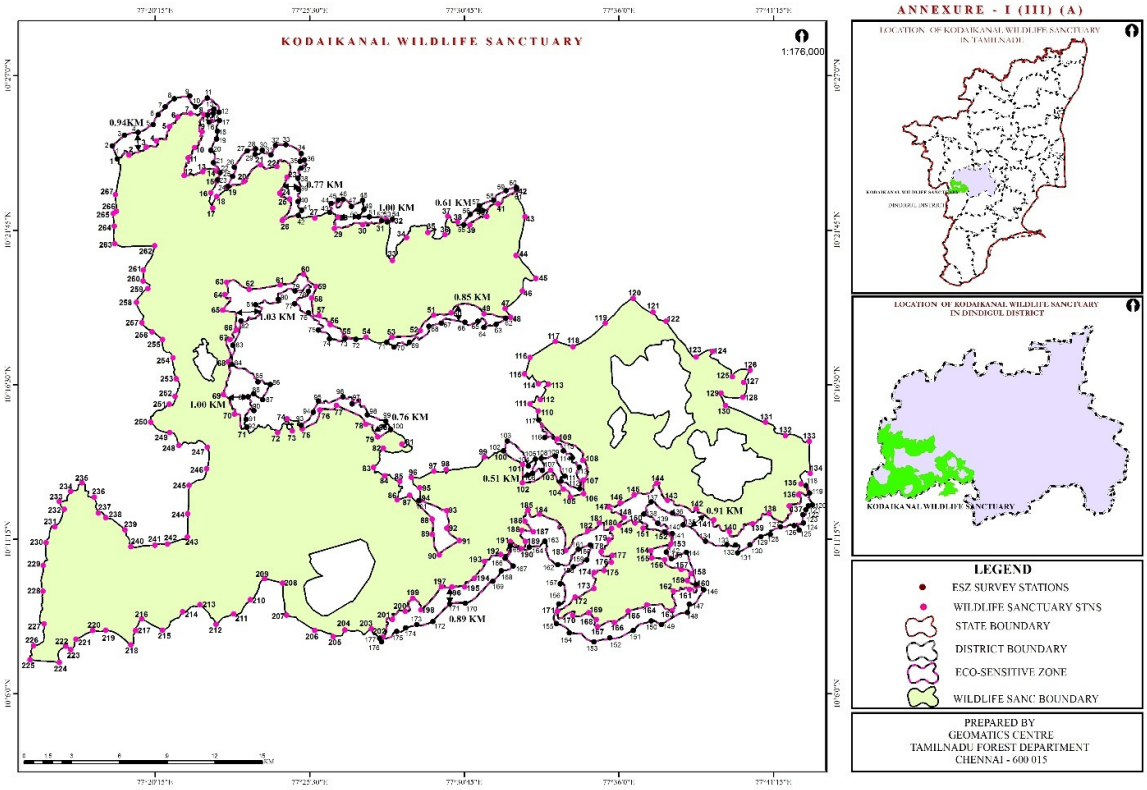

उपाबंध – II च

(एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

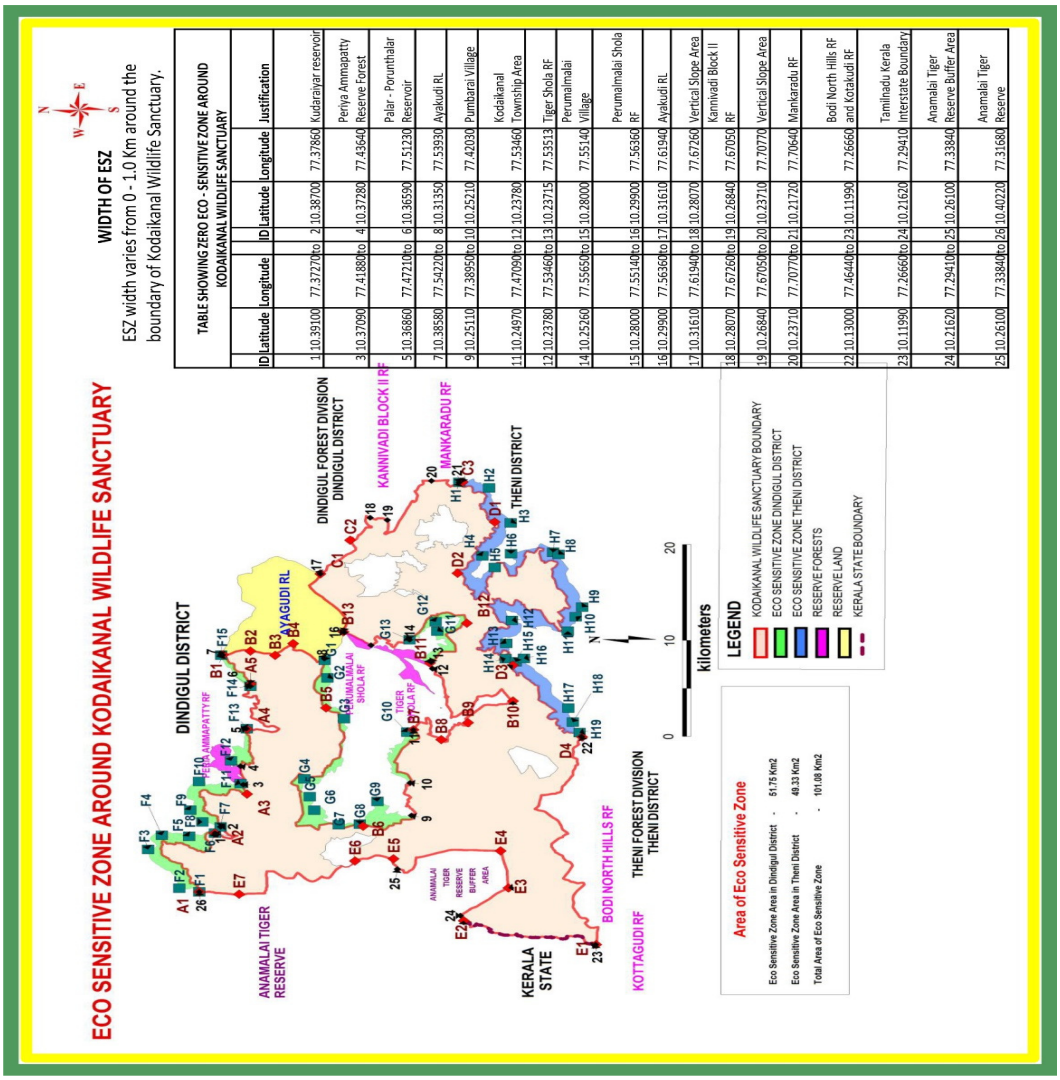

TABLE SHOWING ZERO ECO - SENSITIVE ZONE AROUND KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY

ID	Latitude	Longitude		ID	Latitude	Longitude	Justification
1	10.39100	77.37270	to	2	10.38700	77.37860	Kudaraiyar reservoir
3	10.37090	77.41880	to	4	10.37280	77.43640	Periya Ammapatty Reserve Forest
5	10.36860	77.47210	to	6	10.36590	77.51230	Palar - Porunthalar Reservoir
7	10.38580	77.54220	to	8	10.31350	77.53930	Ayakudi RL
9	10.25110	77.38950	to	10	10.25210	77.42030	Pumbarai Village
11	10.24970	77.47090	to	12	10.23780	77.53460	Kodaikanal Township Area
12	10.23780	77.53460	to	13	10.23715	77.53513	Tiger Shola RF
14	10.25260	77.55650	to	15	10.28000	77.55140	Perumalmalai Village
15	10.28000	77.55140	to	16	10.29900	77.56360	Perumalmalai Shola RF
16	10.29900	77.56360	to	17	10.31610	77.61940	Ayakudi RL
17	10.31610	77.61940	to	18	10.28070	77.67260	Vertical Slope Area
18	10.28070	77.67260	to	19	10.26840	77.67050	Kannivadi Block II RF
19	10.26840	77.67050	to	20	10.23710	77.70770	Vertical Slope Area
20	10.23710	77.70770	to	21	10.21720	77.70640	Mankaradu RF
22	10.13000	77.46440	to	23	10.11990	77.26660	Bodi North Hills RF and Kottakudi RF
23	10.11990	77.26660	to	24	10.21620	77.29410	Tamilnadu Kerala Interstate Boundary
24	10.21620	77.29410	to	25	10.26100	77.33840	Anamalai Tiger Reserve Buffer Area
25	10.26100	77.33840	to	26	10.40220	77.31680	Anamalai Tiger Reserve

उपाबंध-III

सारणी क : कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य, तमिलनाडु के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य सीमा के साथ मुख्य बिंदु			
आई डी	**स्थानीय**	**अक्षांश**	**देशांतर**
ए1	एंडिपट्टी के उत्तर पश्चिम कोने	10.40220	77.31670
ए2	कुडरैयार रिजर्वोइयर ज़ीरोपॉइंट	10.39100	77.37260
ए3	पचैयार नदी राजस्व भूमि में प्रवेश करती है	10.36820	77.40970
ए4	पलार पोरंथालार अभयारण्य शून्य बिंदु	10.36830	77.47190
ए5	पलानी - पेरुमलमालई रोड	10.36570	77.51470
बी1	पीवी घाटी के उत्तर पूर्व कोने	10.38530	77.54230
बी2	सवारीकदु	10.36580	77.54590
बी3	अट्टुकल्लुमलाई	10.34830	77.54180
बी4	पल्लांगिमलाई	10.33540	77.55310
बी5	वइकुंदामलाई	10.31200	77.49190
बी6	कुकल – पजम्पुथुर रोड	10.28540	77.37920
बी7	पिग घाटी	10.24970	77.47100
बी8	कोदाई - ओथू के पास पूमबारई रोड	10.23000	77.46150
बी9	सुसाइड बिदु	10.21100	77.47770
बी10	कोदीमुदी	10.17890	77.49840
बी11	पेरिया वारइ	10.23790	77.53460
बी12	संनियासिमलाई	10.21170	77.57230
बी13	पेरूमल्मालाई शिखर	10.29970	77.56410
सी1	अरूनकनलमलाई	10.31610	77.61930
सी2	पंनाइकदु – थंदीकुदी रोड	10.29490	77.65130
सी3	दींदीगुल – थेनि जिला जंक्शन	10.21480	77.70650
डी1	कामकापट्टी के पास घाट रोड	10.19200	77.66860
डी2	मंजूल नदी के राजस्व भूमि में प्रवेश	10.21840	77.61990
डी3	पेरियकुलाम- कुम्बकरी रोड	10.17890	77.53240
डी4	सोथुपराई डैम	10.12960	77.46400
ई1	पम्बदीसोलाईमलाई	10.11930	77.26660
ई2	किलावराई –कदवाराई पथ	10.21370	77.28920
ई3	उरूम्बंकनावाई	10.18200	77.32030
ई4	थुप्पीअंकनावाई	10.18750	77.35570
ई5	वेल्लारीमलाई	10.26380	77.34810
ई6	पप्पलाम्मंमलाई	10.29130	77.34600
ई7	दल्लाइकुंदु पराई	10.37380	77.31460

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

आई डी	स्थानीय	अक्षांश	देशांतर
एफ1	अनामलाई टीआर और कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य का द्वीय-जंक्शन	10.40220	77.31670
एफ2	नवल ओडाई (डीजीएल-तिरुपुर जिला सीमा)	10.41640	77.32020
एफ3	पेरांदइकरादु	10.43860	77.35720
एफ4	कोट्टांकरादु	10.42880	77.37060
एफ5	गजाट्टु ओदाई	10.40950	77.36960
एफ6	कुदीराइयार जलाशय शून्य बिंदु (पश्चिमी)	10.39100	77.37260
एफ7	कुदीराइयार जलाशय शून्य बिंदु (पश्चिमी)	10.38690	77.37870
एफ8	कुदीराइयार जलाशय रोड	10.39990	77.38330
एफ9	चिन्नाकरादु हिल्लोक	10.40860	77.39440
एफ10	पचीयार नदी	10.40250	77.42180
एफ11	वन्नाट्टीओदाई	10.37280	77.41990
एफ12	मोट्टाइपराई	10.37960	77.44130
एफ13	पलार – पोरंदालार जलाशय – शून्य बिंदु	10.36850	77.47210
एफ14	पलानि- पेरूमल्मलाई रोड	10.36580	77.51230
एफ15	अन्नानगर जंक्शन (पलानी -पेरूमल्मलाई)	10.38670	77.54210
जी1	अंचुरामंदाई	10.31300	77.53710
जी2	गेंगुवाराओदाई	10.31110	77.52030
जी3	नगमरातालाई	10.29910	77.48160
जी4	उलरापुलरांकनावाई	10.32740	77.42420
जी5	अट्टइवयाल	10.32350	77.40730
जी6	वदुगमन्नादी वराई	10.32040	77.39450
जी7	कुंदुपट्टी मेटल रोड	10.30280	77.38050
जी8	कुकल –पजाम्पुथुर रोड	10.28800	77.38120
जी9	कुलाट्टाकनावया फाल्स	10.27520	77.40280

जी10	गुरूसवामिमेट्टु	10.25400	77.46860
जी11	कुरूदीकदुमलाइ	10.23280	77.56470
जी12	पलामलाइ	10.23400	77.57380
जी13	पेरूमल्मलाई- अदुक्कम रोड	10.25260	77.55650
एच1	किन्नां कोइल का आरंभिक बिंदु इसके बाद	10.21720	77.70630
एच2	मंथुराई ओदाई	10.19600	77.70110
एच3	वन चेकपोस्टकमकपट्टी (केकेएल-घाट रोड)	10.18060	77.66770
एच4	मंजालार शून्य बिंदु- उत्तरी भाग	10.20070	77.63630
एच5	रसिमालाई नगर	10.19190	77.62520
एच6	देवदनपट्टी – मनजलार रोड	10.18030	77.63840
एच7	सिफोन नदी के निकट देवदनापट्टी	10.15030	77.63980
एच8	बतलागुंदु –पेरियकुलम रोड	10.14650	77.63770
एच9	बागवानी कॉलेज का प्रवेश द्वार	10.12970	77.58760
एच10	इंदपुली–मुरूगमलाई मेटल रोड	10.13430	77.57840
एच11	मुरूगमलाई मुख्य सड़क	10.13990	77.56480
एच12	पुलीओदाई	10.17970	77.57500
एच13	पुलीकुट्टर नदी	10.18380	77.55310
एच14	कुम्बकराई – अदुक्कम रोड	10.18410	77.53870
एच15	कुम्बकरी–पेरियाकुलम नदी	10.17700	77.53560
एच16	पम्बर नदी	10.17100	77.53890
एच17	वरहानदी	10.13950	77.49150
एच18	पेरियार नदी	10.13610	77.47820
एच19	सोतपराई जलाशय	10.13140	77.46830

सारणी ग. कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के शून्य को दर्शाने वाली सारणी

आईडी	अक्षांश	देशांतर		आई डी	अक्षांश	देशांतर	कारण
1	10.39100	77.37270	से	2	10.38700	77.37860	कुदरइयार जलाशय
3	10.37090	77.41880	से	4	10.37280	77.43640	पेरिया अम्मापट्टीय राजस्व वन
5	10.36860	77.47210	से	6	10.36590	77.51230	पलार – पोरूंथलार जलाशय
7	10.38580	77.54220	से	8	10.31350	77.53930	अयाकुदी आरएल
9	10.25110	77.38950	से	10	10.25210	77.42030	पौम्बरइ ग्राम
11	10.24970	77.47090	से	12	10.23780	77.53460	कोदइकनाल टाउनशिप क्षेत्र
12	10.23780	77.53460	से	13	10.23715	77.53513	बाघ शोला आर एफ
14	10.25260	77.55650	से	15	10.28000	77.55140	पेरूमल्मलाइ ग्राम
15	10.28000	77.55140	से	16	10.29900	77.56360	पेरूमल्मलाइर शोला आरएफ
16	10.29900	77.56360	से	17	10.31610	77.61940	अयाकुदी आरएल
17	10.31610	77.61940	से	18	10.28070	77.67260	वेरटीका स्लोप क्षेत्र
18	10.28070	77.67260	से	19	10.26840	77.67050	कन्नीवदी ब्लाक II आरएफ
19	10.26840	77.67050	से	20	10.23710	77.70770	वेरटिकल स्लोप क्षेत्र
20	10.23710	77.70770	से	21	10.21720	77.70640	मन्करादु आरएफ
22	10.13000	77.46440	से	23	10.11990	77.26660	बोदी उत्तर नदी आरएफ और कोटकुदी आरएफ
23	10.11990	77.26660	से	24	10.21620	77.29410	तमिलनाडु केरल अंतर्राज्यीय सीमा
24	10.21620	77.29410	से	25	10.26100	77.33840	अनामालाई बाघ रिजर्व बफर क्षेत्र
25	10.26100	77.33840	से	26	10.40220	77.31680	अनामलाइ बाघ राजस्व

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	प्रभाग	ग्राम का नाम	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	देशातर
1	कोडाईकनाल	अंदीपट्टीय	10°26' 13.2"	77°22' 42.96"
2		वेलयउदम्पलायम्पुदुर	10° 15' 44.78"	77° 15' 11.88"
3		पप्पाम्पट्टीय	10° 15' 44.12"	77° 14' 33.39"
4		कवलपट्टीय	10° 15' 43.63"	77° 15' 14.99"
5		अंन्नानगर	10°23' 9.97"	77° 32' 28.12"
6		अदुक्कम	10° 14' 16.98"	77° 33' 08.21"
7		कोडाईकनाल	10° 14' 16.07"	77° 29' 20.85"
8		कौकल	10° 17' 09.23"	77°21' 48.04"
9		पौम्पराई	10° 15' 23.10"	77°24' 28.13"
10		थंदीकुदी	10° 18' 35.32"	77° 38' 35.11"
11		पन्नाइकदु	10° 16' 43.47"	77° 37' 42.81"
12		पौलथुर	10° 13' 27.03"	77° 39' 56.51"
13		वेल्लागवी – पेरियार	10° 9' 26.54"	77°26' 26.95"
		वेल्लागवि -चिन्नुर	10° 11' 50.49"	77° 29' 59.70"
14		देवथनापट्टी	10° 08' 47.86"	77° 38' 36.90"
15		गंगुवरपट्टी	10° 10' 14.58"	77° 41' 52.86"
16		वदाकराई	10° 08' 53.50"	77° 31' 02.62"

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2018

S.O.5834(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Kodaikanal Wildlife Sanctuary is spread over an area of **608.95 square kilometres** and located in Kodaikanal and Palani Taluks of Dindigul District and Periyakulam Taluk of Theni District in the State of Tamil Nadu.

AND WHEREAS, the Kodaikanal Forest Division was formed after bifurcating the erstwhile Madurai North Division with headquarters at Kodaikanal with effect from 19th April 1982 as perG.O.Ms.No.468 and as ordered in G.O.Ms.No.261 dated 21.3.1977. On bifurcation of Madurai Revenue District into Madurai and Dindigul districts as per G.O.Ms.No.640 Revenue dated 22.4.1985 the forest areas under the control of Theni Forest Division were transferred to Kodaikanal Forest division. The division forms contiguous and compact block, lying in Kodaikanal Taluk and part of Palani Taluk in Dindigul district and part of Periyakulam Taluk of Theni district. In Kodaikanal Forest Division declared as Kodaikanal Wildlife Sanctuary in G.O.No.143 Environment and Forest (FR-5) Dated: 20.09.2013.

AND WHEREAS, the Forests of Kodaikanal Forest Division falls between $77^0$16' and 77^0 45' of East longitude and 10^0 20' and $10^0$5' of North latitude, is surrounded by Kerala State in the West, Coimbatore Revenue district in the North-West, Dindigul Forest Division on the North-East, Madurai Revenue district in the South – East and Theni Forest Division on South.

AND WHEREAS, the sanctuary is an important and unique habitat for varied flora and fauna which provide an ecologically sustainable habitat for about 44 species of Mammals including endangered species like Tiger, Elephant, Nilgiri tahr etc., It supports more than 150 species of birds, 40 species of reptiles, 8 species of amphibians, 202 species of butterflies and wide variety of ecosystems such as grasslands, Fresh water ecosystem, Marsh ecosystem, Dry deciduous forest, Tropical evergreen forest and shola forests. It is necessary to conserve the physical and biological diversity around the protected area of Kodaikanal Wildlife Sanctuary.

AND WHEREAS,the Sanctuary's floral diversity is extraordinary. The biota of the region is highly diverse with over 2478 of flowering plant species in 201 families of which 1758 are indigenous species, 161 species are naturalized in the area, 344 are cultivated species and 215 garden species. Examples of flora are Pachai savukku (*Acacia decurrens*), Sokkala (*Aglaia elaeagnoidea*), Asiatic Pennywort (*Centella asiatica*), Arabian jasmine (*Jasminum sambac*) etc.

AND WHEREAS, the sanctuary has variety of birds, butterflies, insects, reptiles, amphibians, and mammals. Examples of mammals are Tiger (*Panthera tigris*), Indian Gaur (*Bos gaurus*), Elephant (*Elephas mazimus*), Wildboar (*Sus scrofa*), common Langur (*Semnopithecus*) etc. Examples of birds are Red-whiskered bulbul (*Phycnonotus jocous*), Common kingfisher (*Alcedo atthis*), Bebra Sparrow-hawk (*Virgatus besra*) etc; examples of amphibians are Common asian Toad *(Bufo melanostictus),* Indian Skipper Frog *(Euphlyatis cyanophlyetis) etc.*

AND WHEREAS, the sanctuary has 32 species of Rare Endangered and Threatened species and 49 species of Endemic species which includes Birds (29 Species); Butterfly (12 Species); Amphibians (8 Species). The endemic floral species are endangered and endemic to shola forest of this sanctuary.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying **from zero kilometre to 1 kilometre** around the boundary of Kodaikanal Wildlife sanctuary in the State of Tamil Nadu as the Kodaikanal Wildlife sanctuary (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies **from zero kilometer to 1 kilometer** around the Kodaikanal Wildlife Sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is **101.08 square kilometers**.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure I.**

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure IIA-F.**

(4)List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III (A) (B) (C)** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. - (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways;

(xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government. - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use. –

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given in paragraph 4;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all-natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the protected area or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage. -**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites. -**Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. -** The Environment Department of the State Government or Tamil Nadu State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air pollution. -** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents. -** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste. -** Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28th March,2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of biomedical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management**. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(15) **Vehicular Pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units. -**(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone:

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife(Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl.No.	Activity	Description
	A. **Prohibited Activities**	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals) stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpd Vz. UOI in W.P. (C) No. 202 of 1995

		and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation z. UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new road. (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience

		stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations if any. (d) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms corporate, companies.	Regulated under applicable law.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.

21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitats.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby within three months of this Notification constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of the draft notification, comprising of the following, namely:-

1.	District Collector	Chairman;
2.	District Forest Officer, Dindigul Division	Member;
3.	Assistant Director, Mines and Minerals	Member;
4.	Executive Engineer, PWD & Ground Water	Member;
5.	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
6.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
7.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
8.	A representative from State Public Works Department	Member;
9.	A representative from State Pollution Control Board	Member;
10.	Deputy Director, Town Planning	Member;
11.	District Forest Officer, Kodaikanal	Member Secretary.

6. Terms of Reference. –

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7.The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/31/2018-ESZ]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	The Northern boundary of the Eco Sensitive Zone commences from the Palani – Perumalmalai Road to Anna Junction (Palani – Perumalmalai) at Id – F14 to F15 runs crossing the prominent places as mentioned in the map from North to North East in Palani Range. In North Eco sensitive zone runs from in North East Id-G1 to id-G3 runs towards west crossing from the prominent places. (Anchuran mandai to Nagamarathalai) in Palani Range.
North East	The North East boundary of the sanctuary from North east to East corner is surrounded by the Boundary of Dindigul Forest Division in Dindigul District. No proposal is being made for the Eco-sensitive zone on that front in Perumpallam Range. Because they are cliffs.
East	The eastern boundary of the Eco Sensitive Zone commences from the Perumalmalai Addukkam Road (Id-G13), Palamalai (Id-G12), Kurudikadumalai (Id-G11) and extend to Periyavarai (Id-B11) and runs towards South East crossing the prominent places as mentioned in the map and key location in Kodaikanal Range. And the other part of Eco sensitive zone commences from the Krishnan kovail and staring point of Dindingul – Theni Districts boundary at id – H1 and runs towars south east crossing the prominent places as mentioned in the map with GPS readings in order of Id – H2 to Id – H7 and finally reach Batalagundu – Periyakulam Road at Id - H8 in Perumpallam and Devathanapatty Ranges.
South East	The South east boundary of the Eco Sensitive Zone commences from the Batalagundu – Periyakulam Road at Id - H8 towards south crossing the prominent places as mentioned in the map with GPS readings in order of Id – H9 to Id – H18 and finally reach the Sothuparai Reservoir at Id – H19.
South	The South boundary of the sanctuary from South corner to South West corner is surrounded by the Boundary of Theni Forest Division in Theni District. No proposal is being made for the Eco-sensitive zone on that front in Devathanapatty, Berijam and Vandaravu Ranges.
South West	The South West boundary of the Eco Sensitive Zone commences from the id- 11(Gurusamy medu) extend towards west up to 10 (Zero Eco Sensitive Zone) and from 9 (Zero Eco Sensitive Zone) runs towards at id- G9 (Kulatta kanavay Falls) crossing the prominent places as mentioned in the map. And, also interstate boundary of Kerala Buffer and core area of Anamalai Tiger Reserve located from Northwest towards west. Therefore, no proposal is being made for the Eco-sensitive zone on that front in Vandaravu, Mannavanur and Poombarai Ranges.
West	The West boundary of the Eco Sensitive Zone commences from the Kulatta kanavay Falls to Ulrapulran Kanavai at id – G9 to id- G4 towards Northwest crossing the prominent places as mentioned in the map in Palani Range. And, also Anamalai Tiger Reserve located from West corner to Northwest corner. No proposal is being made for the Eco-sensitive zone on that front in Poombarai and Palani Ranges.
North West	The northern west boundary of the Eco Sensitive Zone commences from the Bi-junction of Anamalai Tiger Reserve and Kodaikanal Wildlife Sanctuary boundary at Id – F1 and runs towards north crossing the prominent places along the natural boundaries such as Streams, roads, path way and nullahsetc with GPS reading in order of id's viz F2 (Naval Odai DGL – Thiruppur District Boundary) to F11 (Vannatti odai).And also from Mottaiparai to Palar-Porandalar Reservoir-zero point at id-F12 to id-F13 in Palani Range.

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY

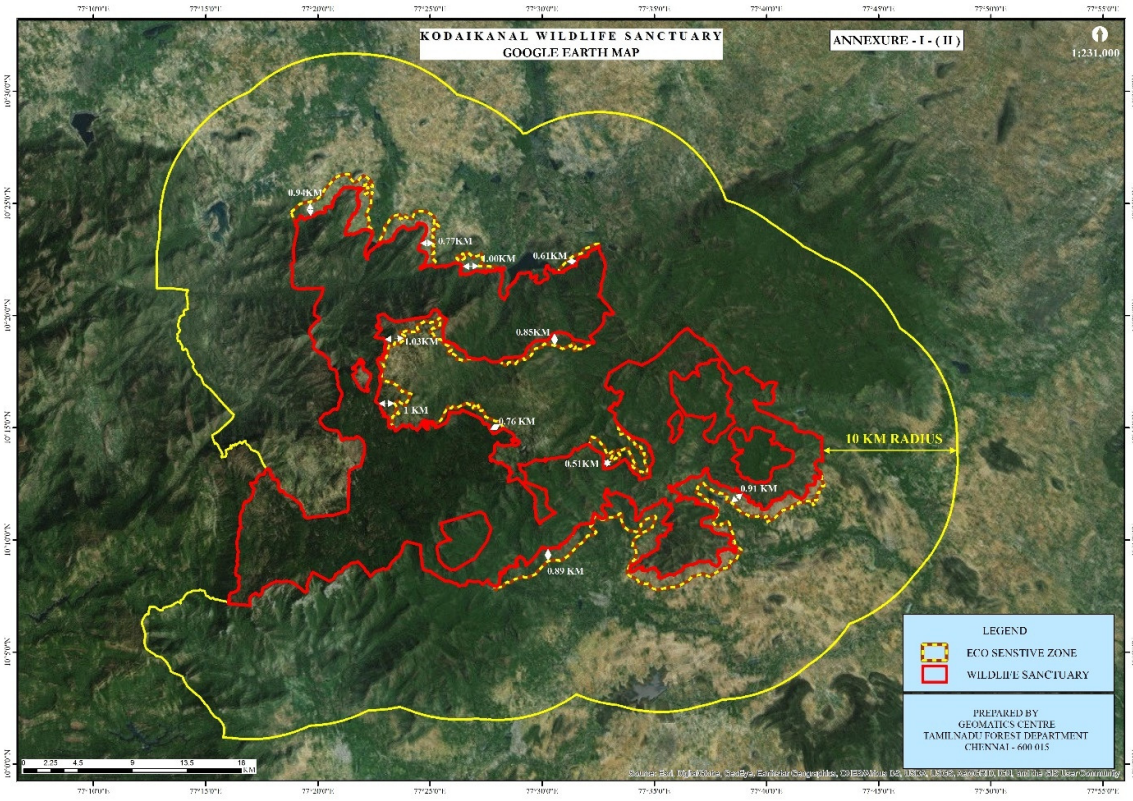

ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY

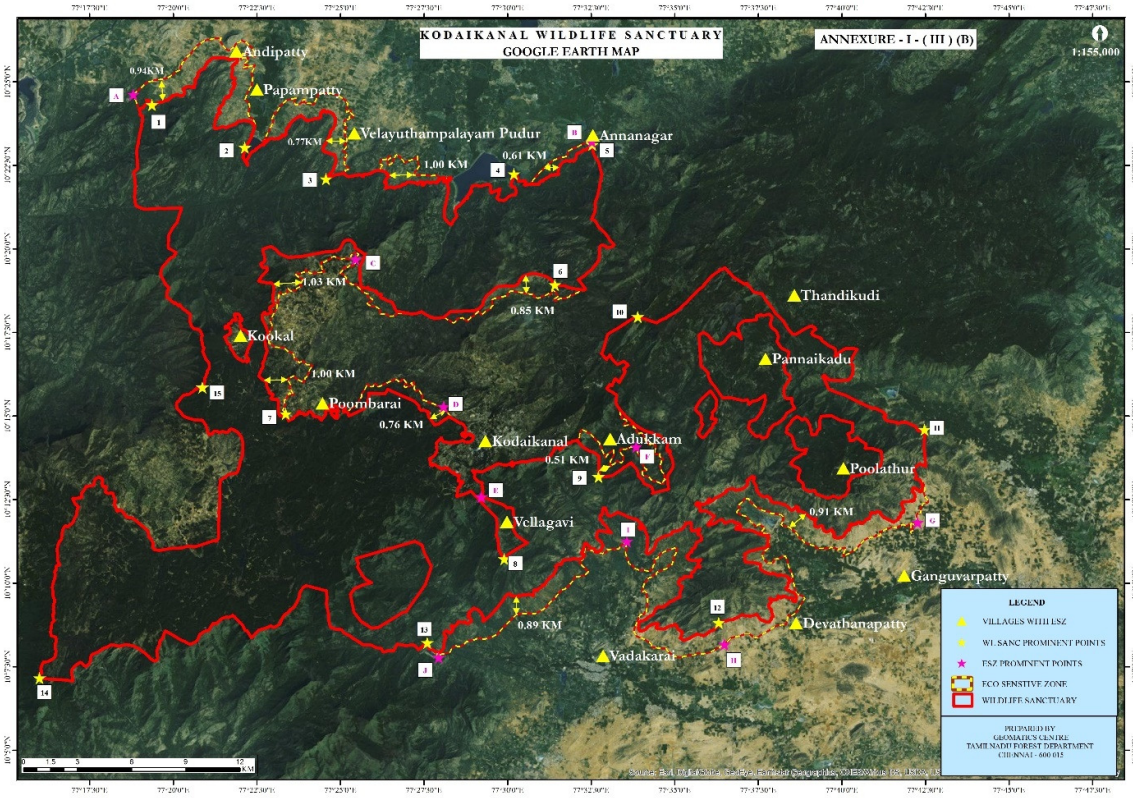

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

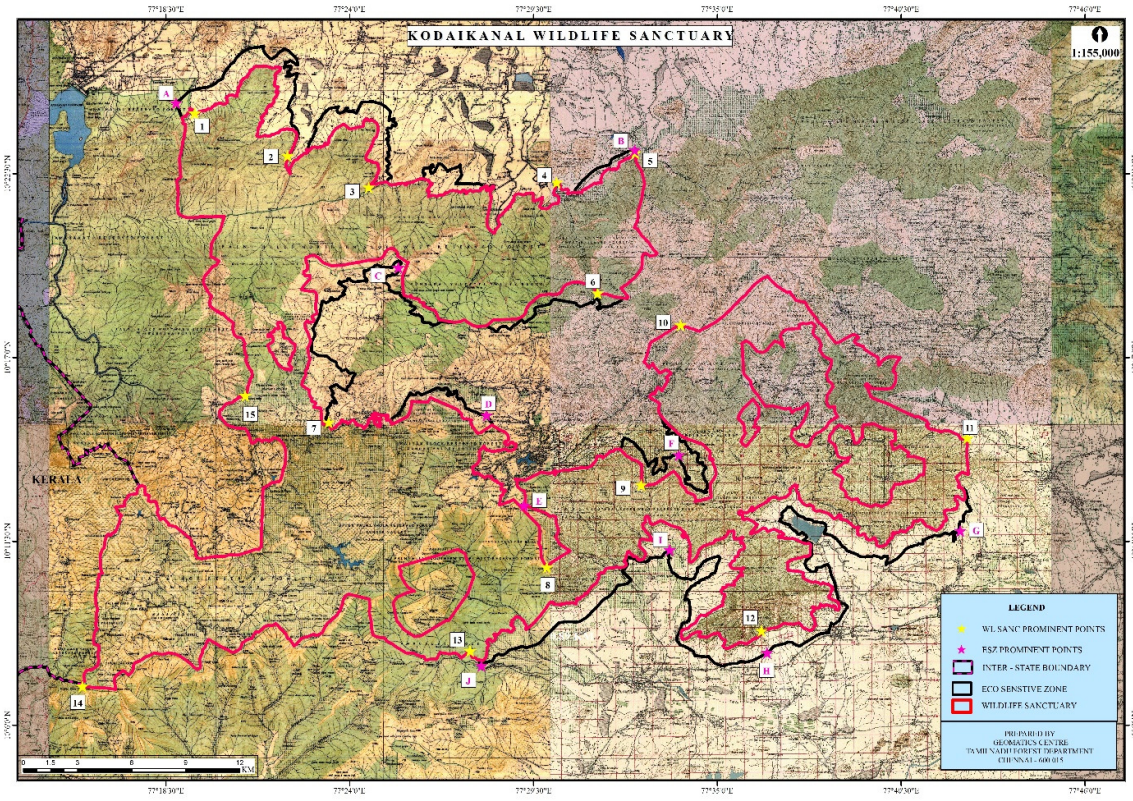

ANNEXURE- IID

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH 10 KM BUFFER

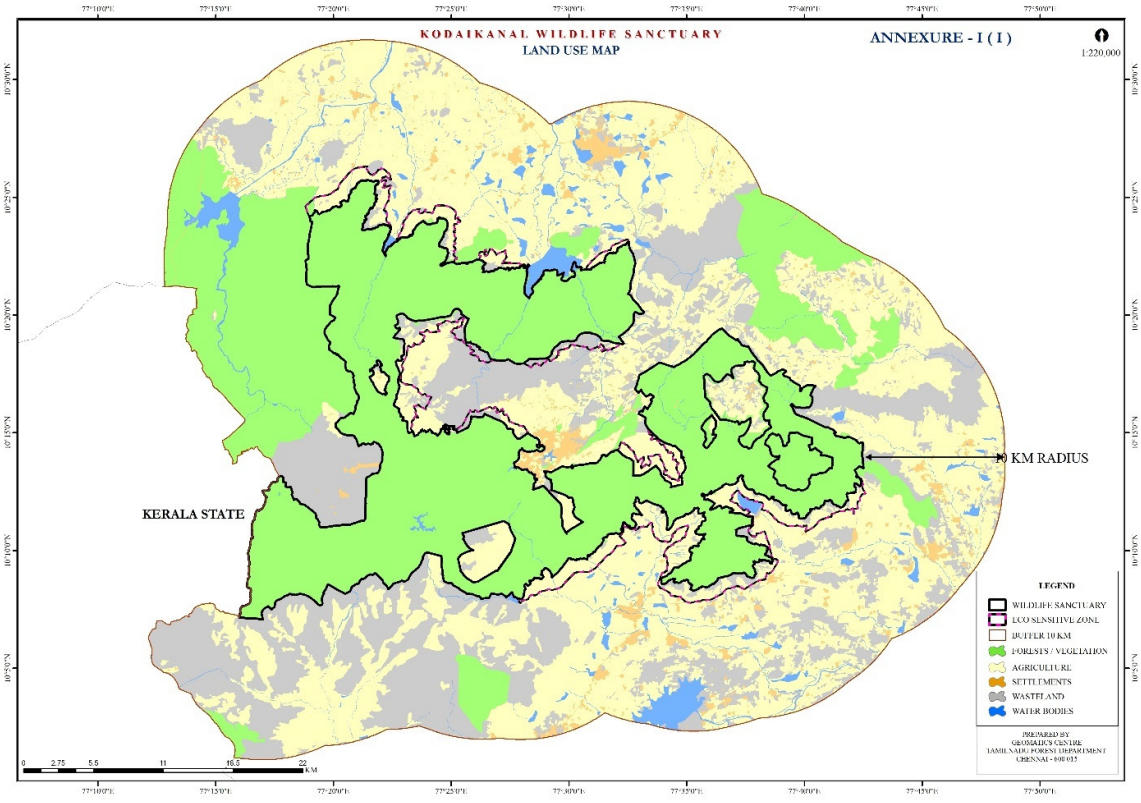

ANNEXURE- IIE

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

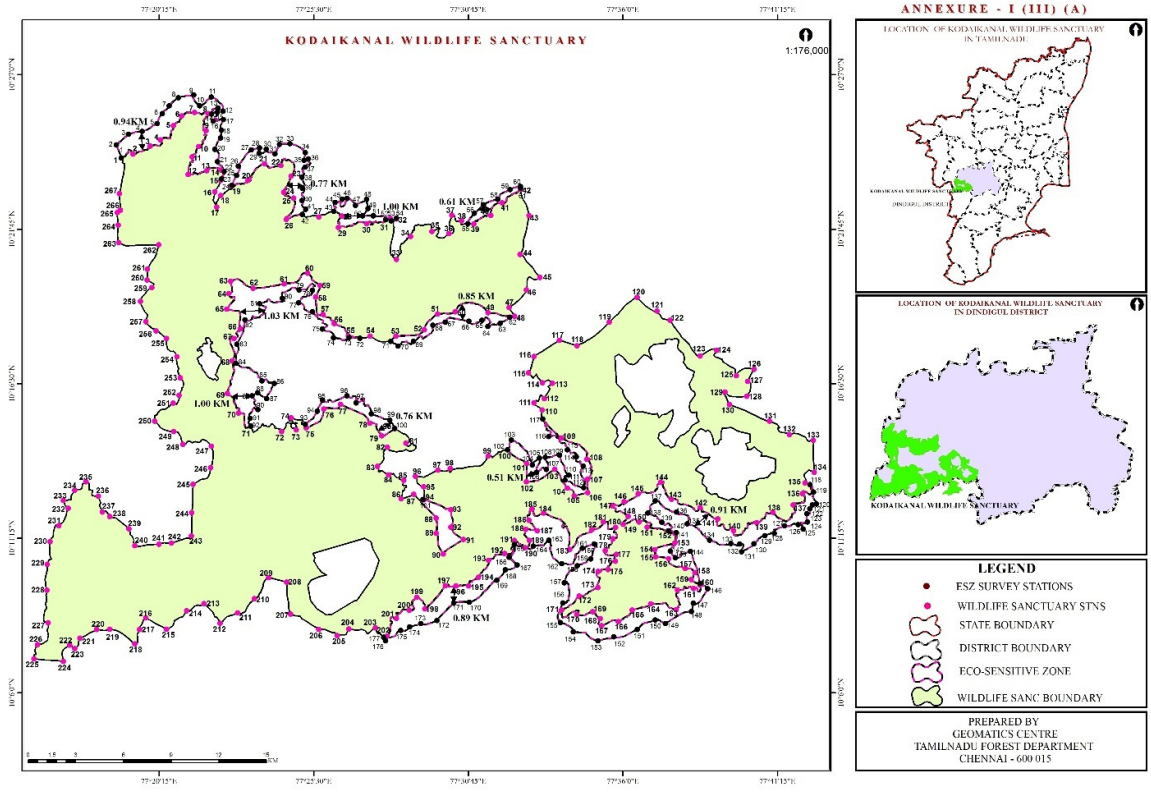

Annexure - IIF

Map of Eco Sensitive Zone of Kodaikanal Wildlife Sanctuary along with latitude and longitude of prominent locations on SOI Toposheet

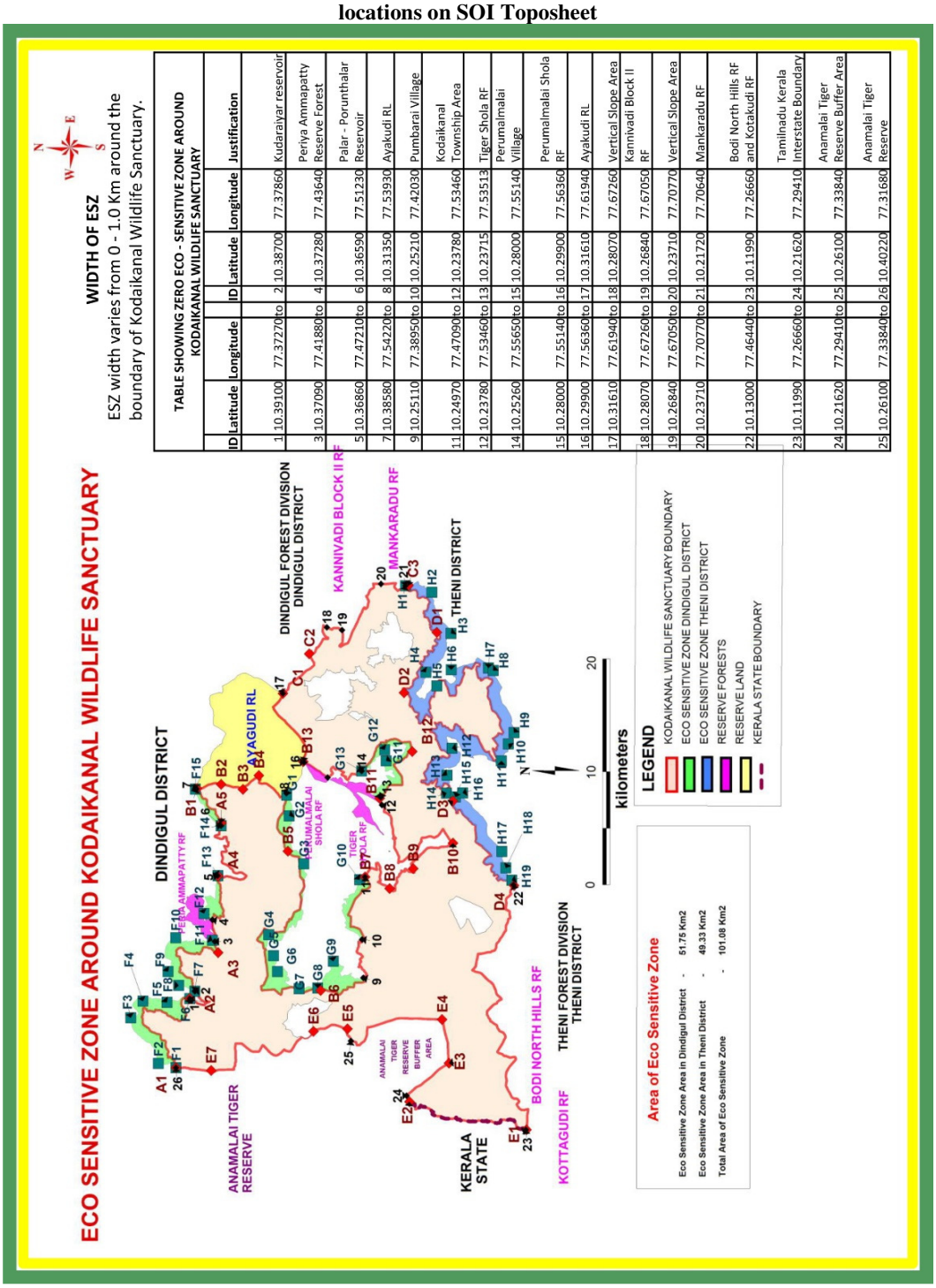

TABLE SHOWING ZERO ECO - SENSITIVE ZONE AROUND KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY						
ID	Latitude	Longitude	ID	Latitude	Longitude	Justification
1	10.39100	77.37270	to 2	10.38700	77.37860	Kudaraiyar reservoir
3	10.37090	77.41880	to 4	10.37280	77.43640	Periya Ammapatty Reserve Forest
5	10.36860	77.47210	to 6	10.36590	77.51230	Palar - Porunthalar Reservoir
7	10.38580	77.54220	to 8	10.31350	77.53930	Ayakudi RL
9	10.25110	77.38950	to 10	10.25210	77.42030	Pumbarai Village
11	10.24970	77.47090	to 12	10.23780	77.53460	Kodaikanal Township Area
12	10.23780	77.53460	to 13	10.23715	77.53513	Tiger Shola RF
14	10.25260	77.55650	to 15	10.28000	77.55140	Perumalmalai Village
15	10.28000	77.55140	to 16	10.29900	77.56360	Perumalmalai Shola RF
16	10.29900	77.56360	to 17	10.31610	77.61940	Ayakudi RL
17	10.31610	77.61940	to 18	10.28070	77.67260	Vertical Slope Area
18	10.28070	77.67260	to 19	10.26840	77.67050	Kannivadi Block II RF
19	10.26840	77.67050	to 20	10.23710	77.70770	Vertical Slope Area
20	10.23710	77.70770	to 21	10.21720	77.70640	Mankaradu RF
22	10.13000	77.46440	to 23	10.11990	77.26660	Bodi North Hills RF and Kotakudi RF
23	10.11990	77.26660	to 24	10.21620	77.29410	Tamilnadu Kerala Interstate Boundary
24	10.21620	77.29410	to 25	10.26100	77.33840	Anamalai Tiger Reserve Buffer Area
25	10.26100	77.33840	to 26	10.40220	77.31680	Anamalai Tiger Reserve

ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Kodaikanal Wildlife Sanctuary, Tamil Nadu

Key Points along Kodaikanal Wildlife Sanctuary Boundary			
ID	**Location**	**Latitude**	**Longitude**
A1	North West corner of Andipatti	10.40220	77.31670
A2	Kudaraiyar Reservoir ZeroPoint	10.39100	77.37260
A3	Pachaiyar River enters Revenue land	10.36820	77.40970
A4	PalarPoranthalar Reservoir Zero point	10.36830	77.47190
A5	Palani - PerumalMalai Road	10.36570	77.51470
B1	North East Corner of PV Valley	10.38530	77.54230
B2	Savarikadu	10.36580	77.54590
B3	AttukalluMalai	10.34830	77.54180
B4	PallangiMalai	10.33540	77.55310
B5	VaikundaMalai	10.31200	77.49190
B6	Kukal - Pazhmputhur Road	10.28540	77.37920
B7	Pig Valley	10.24970	77.47100
B8	Kodai - Poomparai Road Near Oothu	10.23000	77.46150
B9	Suicide Point	10.21100	77.47770
B10	KodiMudi	10.17890	77.49840
B11	PeriyaVarai	10.23790	77.53460
B12	SanniyasiMalai	10.21170	77.57230
B13	PerumalMalai Peak	10.29970	77.56410
C1	ArunkanalMalai	10.31610	77.61930
C2	Pannaikadu - Thandikudi Road	10.29490	77.65130
C3	Dindigul - Theni District Junction	10.21480	77.70650
D1	Ghat Road Near Kamakkapatti	10.19200	77.66860
D2	Manjalar River enters in Revenue land	10.21840	77.61990
D3	Periyakulam - Kumbakarai Road	10.17890	77.53240
D4	Sothuparai Dam	10.12960	77.46400
E1	PambadiSolaiMalai	10.11930	77.26660
E2	Kilavarai - Kadavarai Path	10.21370	77.28920
E3	UrumbanKanavai	10.18200	77.32030
E4	ThuppianKanavai	10.18750	77.35570
E5	VellariMalai	10.26380	77.34810
E6	PappalammanMalai	10.29130	77.34600
E7	EllaiKunduParai	10.37380	77.31460

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

ID	Location	Latitude	Longitude
F1	Bi-junction of Anamalai TR and KKL WLS	10.40220	77.31670
F2	Naval Odai (DGL - Tirupur District Boundary)	10.41640	77.32020

F3	PerandaiKaradu	10.43860	77.35720
F4	KottanKaradu	10.42880	77.37060
F5	GajattuOdai	10.40950	77.36960
F6	Kudiraiyar Reservoir Zero Point (Western)	10.39100	77.37260
F7	Kudiraiyar Reservoir Zero Point (Eastern)	10.38690	77.37870
F8	Kudiraiyar Reservoir Road	10.39990	77.38330
F9	ChinnaKaradu Hillock	10.40860	77.39440
F10	Pachaiyar River	10.40250	77.42180
F11	VannattiOdai	10.37280	77.41990
F12	MottaiParai	10.37960	77.44130
F13	Palar - Porandalar Reservoir - Zero Point	10.36850	77.47210
F14	Palani- Perumalmalai Road	10.36580	77.51230
F15	Annanagar Junction (Palani - PerumalMalai)	10.38670	77.54210
G1	AnchuraMandai	10.31300	77.53710
G2	GenguvarOdai	10.31110	77.52030
G3	Nagamaratalai	10.29910	77.48160
G4	UlrapulranKanavai	10.32740	77.42420
G5	Attivayal	10.32350	77.40730
G6	VadugamannadiVarai	10.32040	77.39450
G7	Kundupatti Metal Road	10.30280	77.38050
G8	Kukal - Pazhamputhur Road	10.28800	77.38120
G9	KulattaKanavay Falls	10.27520	77.40280
G10	GuruswamiMettu	10.25400	77.46860
G11	KurudikaduMalai	10.23280	77.56470
G12	Palamalai	10.23400	77.57380
G13	Perumalmalai - Adukkam Road	10.25260	77.55650
H1	Krishnan Koil-Starting point of DGL-Then	10.21720	77.70630
H2	ManthuraiOdai	10.19600	77.70110
H3	Forest CheckpostKamakkapatti (KKL- Ghat Road)	10.18060	77.66770
H4	Manjalar Zero point- Northern Side	10.20070	77.63630
H5	Rasimalai Nagar	10.19190	77.62520
H6	Devadanapatti - Manjalar Road	10.18030	77.63840
H7	Siphon Near Devadanapatti	10.15030	77.63980
H8	Batlagundu - Periyakulam Road	10.14650	77.63770
H9	Entrance of Horticultural College	10.12970	77.58760
H10	Endapuli - Murugamalai Metal Road	10.13430	77.57840
H11	Murugamalai Main Road	10.13990	77.56480
H12	PuliOdai	10.17970	77.57500

H13	Pulikuttar River	10.18380	77.55310
H14	Kumbakarai - Adukkam Road	10.18410	77.53870
H15	Kumbakari -Periyakulam Road	10.17700	77.53560
H16	Pambar River	10.17100	77.53890
H17	VarahaNadi	10.13950	77.49150
H18	Periyar River	10.13610	77.47820
H19	Sotuparai Reservoir	10.13140	77.46830

TABLE C. TABLE SHOWING ZERO ECO - SENSITIVE ZONE AROUND KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY

ID	Latitude	Longitude		ID	Latitude	Longitude	Justification
1	10.39100	77.37270	to	2	10.38700	77.37860	Kudaraiyar reservoir
3	10.37090	77.41880	to	4	10.37280	77.43640	PeriyaAmmapatty Reserve Forest
5	10.36860	77.47210	to	6	10.36590	77.51230	Palar - Porunthalar Reservoir
7	10.38580	77.54220	to	8	10.31350	77.53930	Ayakudi RL
9	10.25110	77.38950	to	10	10.25210	77.42030	Poombarai village
11	10.24970	77.47090	to	12	10.23780	77.53460	Kodaikanal Township Area
12	10.23780	77.53460	to	13	10.23715	77.53513	Tiger Shola RF
14	10.25260	77.55650	to	15	10.28000	77.55140	Perumalmalai Village
15	10.28000	77.55140	to	16	10.29900	77.56360	Perumalmalai Shola RF
16	10.29900	77.56360	to	17	10.31610	77.61940	Ayakudi RL
17	10.31610	77.61940	to	18	10.28070	77.67260	Vertical Slope Area
18	10.28070	77.67260	to	19	10.26840	77.67050	Kannivadi Block II RF
19	10.26840	77.67050	to	20	10.23710	77.70770	Vertical Slope Area
20	10.23710	77.70770	to	21	10.21720	77.70640	Mankaradu RF
22	10.13000	77.46440	to	23	10.11990	77.26660	Bodi North Hills RF and Kotakudi RF
23	10.11990	77.26660	to	24	10.21620	77.29410	Tamilnadu Kerala Interstate Boundary
24	10.21620	77.29410	to	25	10.26100	77.33840	Anamalai Tiger Reserve Buffer Area
25	10.26100	77.33840	to	26	10.40220	77.31680	Anamalai Tiger Reserve

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KODAIKANAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No	Division	Name of the Villages	Geo – Coordinates	
			Latitude	Longitude
1	Kodaikanal	Andipatty	10°26' 13.2"	77°22' 42.96"
2		Velayudampalayampudur	10° 15' 44.78"	77° 15' 11.88"
3		Pappampatty	10° 15' 44.12"	77° 14' 33.39"
4		Kavalpatty	10° 15' 43.63"	77° 15' 14.99"
5		Annanagar	10°23' 9.97"	77° 32' 28.12"
6		Adukkam	10° 14' 16.98"	77° 33' 08.21"
7		Kodaikanal	10° 14' 16.07"	77° 29' 20.85"
8		Kookal	10° 17' 09.23"	77°21' 48.04"
9		Poomparai	10° 15' 23.10"	77°24' 28.13"
10		Thandikudi	10° 18' 35.32"	77° 38' 35.11"
11		Pannaikadu	10° 16' 43.47"	77° 37' 42.81"
12		Poolathur	10° 13' 27.03"	77° 39' 56.51"
13		Vellagavi – Periyar	10° 9' 26.54"	77°26' 26.95"
		Vellagavi - Chinnur	10° 11' 50.49"	77° 29' 59.70"
14		Devathanapatty	10° 08' 47.86"	77° 38' 36.90"
15		Ganguvarpatty	10° 10' 14.58"	77° 41' 52.86"
16		Vadakarai	10° 08' 53.50"	77° 31' 02.62"

Annexure –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive ZoneMonitoring Committee. -

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.11.29 11:21:32 +05'30'